न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 1/2022 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. रणछोड़ पिता स्व. मोतिया भोई, निवासी गनौड़ा, तहसील गनौड़ा, जिला बांसवाड़ा
2. लक्ष्मण पिता स्व. मोतिया भोई, निवासी गनौड़ा, तहसील गनौड़ा, जिला बांसवाड़ा
3. श्रीमती अमृत पत्नी पिता स्व. मोतिया भोई, नि. गनौड़ा, तह. गनौड़ा, जिला बांसवाड़ा

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. रणछोड़ पिता नाथू भोई, निवासी गनौड़ा, तहसील गनौड़ा, जिला बांसवाड़ा
2. नानु पिता स्व. रूपा भोई, निवासी गनौड़ा, तहसील गनौड़ा, जिला बांसवाड़ा
3. लाला पिता स्व. रूपा भोई, निवासी गनौड़ा, तहसील गनौड़ा, जिला बांसवाड़ा
4. गणेश पिता स्व. रूपा भोई, निवासी गनौड़ा, तहसील गनौड़ा, जिला बांसवाड़ा
5. सुश्री आशा पिता स्व. रूपा भोई, निवासी गनौड़ा, तहसील गनौड़ा, जिला बांसवाड़ा
6. श्रीमती कमला पत्नी स्व. रूपा भोई, नि0 गनौड़ा, तहसील गनौड़ा, जिला बांसवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गनौड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, घाटोल प्रकरण संख्या 63/2017 दिनांक 14.12.2021

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस)
1. श्री राजकुमार जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3. श्री गौरव उपाध्याय अभिभाषक रे. सं. 1 से 3
4. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7

–––:::–––

निर्णय **दिनांक 30–11–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता श्री मोतिया के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी नंबर 4837 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि ग्राम गनोडा में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य होकर भूमि पैत्रृक होकर सभी का समान हक व अधिकार है। उक्त भूमि का विभाजन नहीं होने से सभी पक्षों को अकारण कई तरह की कठिनाईयां होती हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने से वादीगण का वाद स्वीकार कर दिनांक 14–09–20[illegible]करण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 14–12–2021 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:43 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 अभिभाषक श्री जयेन्द्र पुरोहित व श्री गौरव उपाध्यय तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5, 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि मौका रिपोर्ट अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है तथा मौका कमिश्नर ने मौका रिपोर्ट में आराजी नंबर 4837 की भूमि पर आबादी स्थित होने के तथ्य छुपाते हुए मिथ्या रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। मौका कमिश्नर द्वारा सभी पक्षों की उपस्थिति में बंटवारा रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय एवं मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–12–2021 अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजी पक्षकारान के पूर्वाधिकारी नाथू, रूपा व मोतिया की सहखातेदारी में दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रतिवादीगण अर्थात हाल अपीलान्टगण ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण का यह कथन कि मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गयी है, विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि विभाजन प्रस्ताव से वकील वादी व प्रतिवादी दोनों सहमत हैं किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी की है वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–12–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:43 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

रणछोड पिता स्व. मोतिया भोई, नि0 गनोडा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	**रणछोड पिता नाथू भोई, निवासी गनोडा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**1/2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**घाटोल**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....14**.....माह.....**12**.....**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**...माह.....**11**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री राजकुमार जैन**..मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री जयेन्द्र पुरोहित/गौरव उपाध्याय**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–12–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**11**.....**2022** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:43 IST
Reason: SelfAttested